International Journal of Geography, Geology and Environment

P-ISSN: 2706-7483
E-ISSN: 2706-7491
IJGGE 2022; 4(1): 101-109
Received: 15-12-2021
Accepted: 10-02-2022

सुरेन्द्र सिंह
शोधार्थी, भूगोल विभाग, कुमांऊँ विश्वविद्यालय, पी0जी0 कालेज, बागेश्वर, उत्तराखण्ड, भारत

डी0 एस0 परिहार
भूतपूर्व शोधार्थी, भूगोल विभाग, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, एस0एस0जे0 परिसर, अल्मोंड़ा, उत्तराखण्ड, भारत

Corresponding Author:
सुरेन्द्र सिंह
शोधार्थी, भूगोल विभाग, कुमांऊँ विश्वविद्यालय, पी0जी0 कालेज, बागेश्वर, उत्तराखण्ड, भारत

विकास के अभाव में उत्तराखण्ड के राजी जनजातिः स्थिति एवं समस्यायें

सुरेन्द्र सिंह एवं डी0 एस0 परिहार

सारांश
आदिम या आदिवासी समाज विश्व के विभिन्न प्रदेशों में पाये जाते हैं। जो वर्तमान गतिशील समाज व सभ्यता से दूर रहते हैं तथा पारम्परिक परम्पराओं, व्यवसायों, जीवनशैली को सुरक्षित रखने को पूर्ण रूप से प्रयासरत है। आदिम जनजातियॉ मुख्य रूप से छोटे–छोटे समूहों में रहते हुये प्रथामिक उधोगों, आखेत, वस्तुओं का संग्रहण, पशुपालन, कृषि एवं मत्स्य आखेट इत्यादि से अपना जीवन यापन करते हैं। उत्तराखण्ड में निवासरत भोटिया, थारू, जौनसारी, बुक्शा एवं राजी को वर्ष 1967 में अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया था। उक्त पॉच जनजातियों में बुक्सा एवं राजीजन जाति आर्थिक, शैक्षिक एवं सामाजिक रूप से अन्य जनजातियों की अपेक्षा काफी निर्धन एवं पिछडी होने के कारण उन्हें आदिम जनजाति समुह की श्रेणी में रखा गया है। भारत की विलुप्त होती आदिम जनजातियों की सूची में 'वनराजी' या 'वनरौत' जाति भी शामिल है। राजि मूलतः आदिम आखेटक संग्रह जाति है जिनका विस्तार पिथौरागढ़ से लेकर दक्षिणी नेपाल तक पाई जाती है। सन् 1975 में भारत सरकार ने देश की 75 जनजातियों के साथ ही राजी और बोक्सा को आदिम जनजातियों में शामिल किया तथा यह जनजाति देश की उन 18 आदिम जनजातियों में शामिल है जिनकी जनसंख्या हजार से भी कम रह गई हैं। भाषाई आधार पर राजीयों को राज किरातों के वंशज होने का अनुमान लगाया जाता है। वनराजी उत्तराखण्ड के दो जनपद पिथौरागढ़ और चम्पावत में अधिकता से पाये जाते हैं इनमें राजि के 143 परिवार निवास करते हैं। राजीयों की नवीनतम आबादी 690 दर्ज हुई जिनमें 366 पुरूष और 324 महिलायें हैं जो धारचूला, डीडीहाट और चम्पावत के 9 गॉवों में वनराजी निवास करत थे। सन् 2001 में इनके परिवारों की कुल संख्या 130 तथा इनकी कुल जनसंख्या लगभग 528 थी। इस स्थिति को मद्देनजर रखते हुये इनके लिये राजकीय सेवाओं, शिक्षण संस्थाओं, सार्वजनिक उद्यमों, निगमों एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं में आरक्षण के लिये नया शासनादेश जुलाई 2001 में जारी किया। उत्तराखण्ड व भारत सरकार ने इन्हें पोषित करने के लिये कई परियोजनायें चलायी है जिससे ये भी भारत के सामान्य नागरिक की तरह रहन–सहन, खान–पान की स्थिति हो। अग्र प्रस्तुत अध्ययन में विकास के अभाव में उत्तराखण्ड राज्य के राजी जनजाति की स्थिति एवं समस्याओं का अध्ययन विस्तार से प्रस्तुत किया गया है।

कूटशब्द : राजी जनजाति, विकास अभाव, समस्यायें एवं उत्तराखण्ड राज्य।

प्रस्तावनाः
उत्तराखण्ड जनजातियों की दृष्टि से सामान्य राज्य है, देश की कुल अनुसूचित जनजाति की संख्या 84326240 है जिसमें उत्तराखण्ड का योगदान 256129 है। उत्तराखण्ड राज्य के उधम सिंह नगर में सबसे अधिक अनूसूचित जनजाति की जनसंख्या पायी जाती है तथा रूद्रप्रयाग जनपद में सबसे कम जनसंख्या है। उत्तराखण्ड जनजातियों में राजी, भोटिया, बोक्सा, थारू एवं जौनसारी आदि यहॉ की प्रमुख जनजातियॉ है। वर्तमान अध्ययन में हम राजी जनजाति के विकासीय संन्दर्भ में पिछड़े होने के वास्तविक कारणों, मूल परिस्थितियों तथा वर्तमान में इन से जुड़ी समस्याओं को उजागर करना प्राथमिकता रहेगी, क्योंकि उत्तराखण्ड में राजी जनजाति विलुप्ति के कगार पर है। उत्तराखण्ड प्रदेश की सम्पूर्ण जनसंख्या के 27 प्रतिशत जनसंख्या के भाग पर अनुसूचित जनजाति निवासित है। यहॉ की कतिपय जनजातियॉ पहाड़ी क्षेत्रों में जटिल भौगोलिक वातावरण में आवासित है जबकि कुछ जनजातियॉ मैदानी क्षेत्रों में भी हैं। इनकी अपनी पृथक–पृथक संस्कृति हैं जो विशिष्ट है, राजी जनजाति अपनी विशिष्टता के कारण सभ्य समाज की सभ्य संस्कृति से पूर्णतः भिन्न है। वर्तमान समय में इन में संस्कृति सम्मिश्रण की प्रक्रिया प्रारम्भ हो गई है। भविष्य में इनकी विशिष्ट संस्कृति मात्र ऐतिहासिक विवरणों में उपलब्ध रहेगी इनकी ऐसी संभावना बनी हुई है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, परिवर्तन सकारात्मक व नकारात्मक दोनों हो सकते हैं। किसी भी समाज, देश व विश्व में कोई भी सकारात्मक पविर्तन जो प्रकृति और मानव दोनों को बेहतरी की ओर ले जाता है, वही वास्तव में विकास है। जनजातियों में अपने आपको बदलने की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है और ना ही ये अपने–आपको बदलना चाहते हैं।

यही कारण इनके विकास में सबसे बड़ी बाधा बनी हुई है, इसके अलावा आर्थिक जर्जरता के कारण ये लोग कुपोषण एवं रोगों से ग्रस्त हो रहे हैं जिससे इनके अस्तित्व पर प्रश्न–चिह्न लग गया है। 1981 की जनगणना के अनुसार इनकी जनसंख्या 1087 थी, जो 1991 में घटकर मात्र 494 रह गई है जिसका मुख्य कारण भोज्य पदार्थों का अभाव, चिकित्सा सेवा की अल्पता, एकाकी जीवन आदि के कारण सरकारी प्रयत्नों के बावजूद भी इनकी संख्या निरन्तर कम होती जा रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर क्या कारण है कि ये जनजाति बाहरी लोगों से अपना व्यवहारिक संपर्क नहीं बना पाती? क्यों ये आधुनिक दुनिया से अलगाव महसूस करती है? सवाल ये भी है कि ये जनजाति किन–किन समस्याओं का सामना कर रही हैं? प्रस्तुत शोध लेख में इन्हीं उद्देश्य को तलाशने की कोशिश की गई है।

राज्य में अनुसूचित जनजाति की घोषणा 1967 में हुई थी जिसमें मुख्य रुप से जौनसारी, थारू, भोटिया, बोक्सा, राजी आदि को अनुसूचित जनजाति कि श्रेणी में रखा जाता है (ओझा, 2011)। उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जनपद ऊधम सिंह नगर तथा सबसे कम जनजाति जनसंख्या वाला जनपद रुद्रप्रयाग है। प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति उधम सिंह नगर (7.46:) तथा सबसे कम टिहरी गढ़वाल (0.14:) है। राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या जनजातियों में जौनसारी जनजाति की तथा सबसे कम जनसंख्या राजी जनजाति की है। अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्य विधानसभा के कुल 70 सीटों में से 2 सीटें आरक्षित है जो चकरौता (देहरादून) व नानकमत्ता (उधम सिंह नगर) में है। उत्तराखंड सरकार ने जुलाई 2001 में शासनादेश जारी करके राजकीय सेवाओं, शिक्षण, संस्थाओं, सार्वजनिक, उद्यमों, निगमों व स्वायत्तशासी संस्थाओं में अनुसूचित जनजाति के लिए 4 सीटों पर आरक्षण का प्रावधान किया है (त्रिपाठी, 2013)। इन 5 जनजातियों के अतिरिक्त भी राज्य में जनजातियाँ हैं राठी, अनुवाल, इत्यादि परंतु इनकी संख्या बहुत कम पायी जाती है तथा साथ ही इनको संवैधानिक आधार पर जनजाति का दर्जा प्राप्त नहीं हो पाता है (त्रिपाठी, 2013)। यह जनजातीय जीवन जीते हैं क्योंकि अनुवाल समुदाय भी पशुचारा का तिब्बत व्यापार का हिस्सा रहा है।

उद्देश्य

प्रस्तुत शोध का उद्देश्य उत्तराखण्ड राज्य के राजी जनजाति का अध्ययन करना है जो मुख्यरुप से दूरस्थ जिलों पिथौरागढ़ एवं चम्पावत में निवास करने वाली राजी जनजाति के पिछड़ेपन, वर्तमान स्थिति तथा समस्याओं का अध्ययन पर आधारित है जिसका कारण राजी जनजाति में विकास कार्यक्रमों के अभावों का होना है। उक्त उद्देश्यों को निम्न शीर्षकों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है।

विधितंत्र

इस अध्ययन कार्य को पूर्ण करने हेतु, शोधार्थी द्वारा विश्लेषणात्मक विधियों का प्रयोग किया गया है। जिसमें शोधकर्ता ने उत्तराखण्ड राज्य में विकास के अभाव में राजी जनजाति की वर्तमान स्थिति एवं समस्याओं को अध्ययन का आधार माना है। प्रस्तुत अध्ययन में शोधकर्ता के द्वारा पिथौरागढ़ जनपद में ''विकास के अभाव में उत्तराखण्ड के राजी जनजातिः स्थिति एवं समस्यायें'' के अध्ययन में द्वितीयक ऑकड़ों का प्रयोग किया गया है। द्वितीयक ऑकड़ों को प्राप्त करने के लिये तथा इस शोध कार्य को पूरा करने के लिय शोध पत्रिकायें, शोध पुस्तकों व समाचार पत्रों की सहायता ली गई है। जनसंख्या वर्ष 2011 की जनगणना (रावत, 2021) पर आधारित है। क्वानटम जी0आई0एस0, एम0एस0 पेंट, एम0एस0 ऑफिस एवं का प्रयोग मानचित्र, भौगोलिक सूचना तथा शोध पत्र को लिखने के लिये किया गया है।

अध्ययन क्षेत्र का स्थिति विस्तार

उत्तराखण्ड राज्य का भौगोलिक विस्तार उत्तर में बृहद हिमालय से दक्षिण में गंगा के मैदान के बीच स्थित है। विश्व के ग्लोब में राज्य का विस्तार $28^{\circ}43'$ उत्तरी अक्षांश से $31^{\circ}27'$ उत्तरी अक्षांश तक तथा $77^{\circ}34'$ पूर्वी देशांतर से $81^{\circ}03'$ पूर्वी देशांतर तक है (मैठाणी, 2010)। इस प्रकार राज्य का उत्तर–दक्षिण विस्तार $2^{\circ}44'$ व पूर्व–पश्चिम विस्तार $3^{\circ}28'$ है उत्तराखंड सांख्यिकी पत्रिका 2008–09 के अनुसार राज्य का कुल क्षेत्रफल 53,483 वर्ग किमी है। यह क्षेत्रफल संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का मात्र 1.69ः है (त्रिपाठी, 2013)। भारत के सभी हिमालयी राज्यों में क्षेत्रफल के आधार पर चौथा स्थान उत्तराखण्ड का है। साथ ही उत्तराखण्ड का क्षेत्रफल भूटान देश के क्षेत्रफल (49421 वर्ग किमी०) से अधिक है। उत्तराखण्ड राज्य क्षेत्रफल के आधार पर देश में 18वाँ स्थान रखता है (त्रिपाठी, 2013)। राज्य के कुल क्षेत्रफल का 46035 वर्ग किमी (86.07:) पर्वतीय व हिमालयी है जिस कारण इसे हिमालयी राज्य कहा जाता है शेष 7448 वर्ग किमी (13.93:) मैदानी व भाबर क्षेत्र है। क्षेत्रफल के आधार पर राज्य का सबसे बड़ा जिला चमोली (8030 वर्ग किमी) व सबसे छोटा जिला चम्पावत (1766 वर्ग किमी०) है (त्रिपाठी, 2013)। उत्तराखंड राज्य की प्राकृतिक सीमा भी बहुत महत्व रखती है जिसमें सर्वप्रथम हिमालय का बंटवारा हुआ है। उत्तराखण्ड में उपस्थित हिमालय को मध्य हिमालय की श्रेणी में रखा जाता है जिसका विभाजन पश्चिम में टोंस नदी व पूर्व में काली नदी के बीच किया गया है। सत्र 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तराखंड की कुल जनसंख्या 1,00,86,292 है जिसमें पुरुषों की जनसंख्या 51,37,773 (50.93:) और महिलाओं की जनसंख्या 49,48,519 (49.07:) है इसमें भारत की जनसंख्या का 0.83ः भाग आता है और जनसंख्या की दृष्टि से भारत में 20 राज्य का स्थान है उत्तराखंड में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला हरिद्वार (18,90,422) और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला रुद्रप्रयाग (42,285) हैं (ओझा, 2011)। 2011 में उत्तराखंड राज्य में जनसंख्या घनत्व 189 है जो 2001 का जनघनत्व 159 था जिसमें सर्वाधिक जनघनत्व हरिद्वार में 801 तथा सबसे कम जनघनत्व उत्तरकाशी में 41 है। उत्तराखंड में लिंगानुपात 963 है उत्तराखंड राज्य जनघनत्व के मामले में भारत में 25 वें स्थान पर तथा लिंगानुपात के मामले में 13 वें स्थान पर है। उत्तराखंड में साक्षरता दर 78.82ः जनगणना 2011 के अनुसार पाया गया है। जिसमें पुरुष साक्षरता दर 87.40ः तथा महिला साक्षरता दर 70ः है। इस प्रकार भारत में उत्तराखंड का साक्षरता के आधार पर 17वाँ स्थान हैं। राज्य में 70,36,954 (69.77:) जनसंख्या ग्रामीण अधिवास तथा शेष 30,49,338 (30.23:) जनसंख्या नगरीय अधिवास में निर्वासित है। देश में नगरीकरण में उत्तराखंड का का स्थान 20वाँ है (ओझा, 2011)।

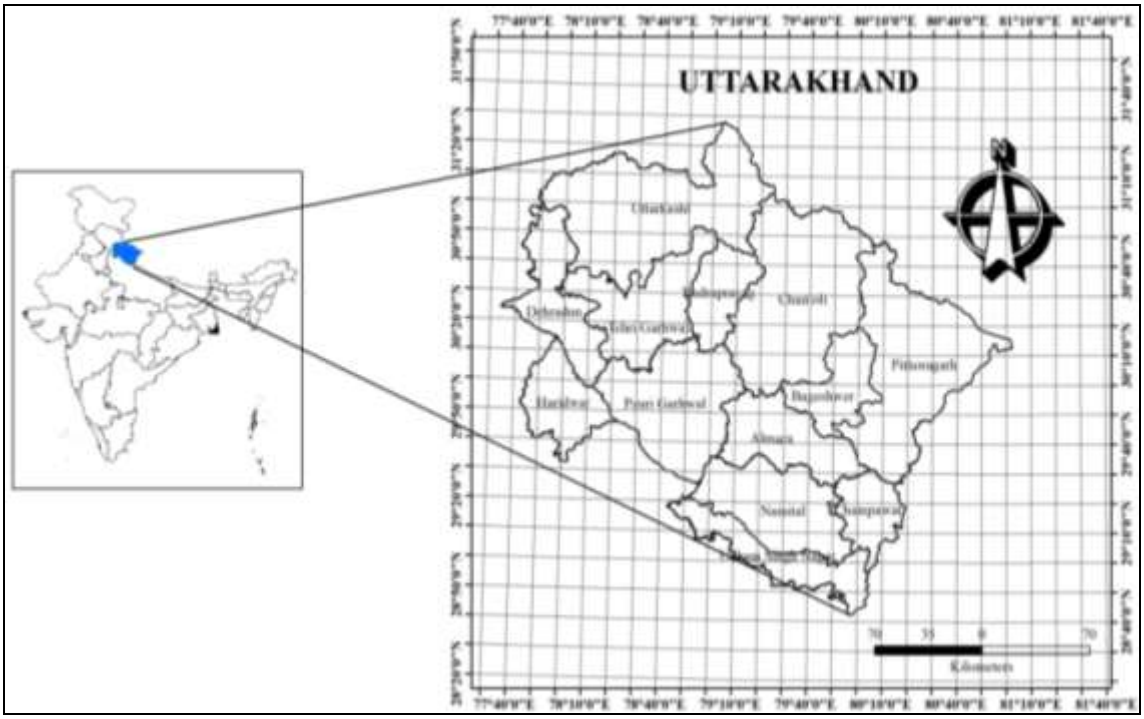

मानचित्र 1: अध्ययन क्षेत्र का स्थिति विस्तार मानचित्र (उत्तराखण्ड राज्य)।

राजी जनजाति

हिमालय के जटिल भू–आकृतिक एवं जलवायुविक तंत्र में उत्तराखण्ड राज्य के पिथौरागढ़ जनपद में आवासित राजी जनजाति अपनी पृथक संस्कृति के कारण भारत सरकार का ध्यान आकर्षित किया जिस कारण 1967 ई0 में बोक्सा जनजाति के साथ इसे आदिम समुदाय घोषित किया गया है। ये प्रमखतः धारचूला, डीडीहाट एवं वर्तमान चम्पावत जनपद में अपनी अल्प आवश्यकताओं के साथ निवास करते हैं। वर्तमान समय में इनकी जनसंख्या लगभग 500 है (रावत, 2021)। राजी समाज एक अनोखा समाज है जो घने जंगलों एवं ऊँची पहाड़ियों पर निवास करता है तथा उन्हीं से उत्पादित वस्तुओं पर जीवन–निर्वाहन करने वाली इस जनजाति को 'वनरावत या वनकन्हैया' के नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन लोक कथाओं के आधार पर स्पष्ट होता है कि पिथौरागढ़ के उत्तरी भाग में ऐसकट वंशज का शासन था। आपसी मतभेद के कारण इनके एक भाई को वन राज्य प्रदान किया गया जिसके वंशज वर्तमान में राजी या वन रावत कहे जाते हैं। जंगली क्षेत्र निवास के लिये विषम एवं संसाधन रहित होता है, जिस कारण इनका विकास नहीं हो पाया। राजी जनजाति ने प्रकृति के अनेक रुपों में रहकर वर्तमान तक अपने अस्तित्व को सुरक्षित रखा है। राजी जनजाति किरातवंशीय है जो अतीत में हिमालय में आकर बस गई तथा पर्यावरण के अनुकूल अपने को समायोजित कर लिया।

(क) शारीरिक संरचना– राजी जनजाति गौर वर्ण, सीधी नाक, काली ऑख, छोटा कद, लघु कपाल धारिता आदि शारीरिक लक्षणों से युक्त तथा राजी लोग बर्मा–तिब्बती भाषा का प्रयोग करते हैं जिसमें तिब्बती व संस्कृति भाषा के शब्दों की अधिकता पायी जाती है। परन्तु वर्तमान में कुमाऊँनी एवं हिन्दी भाषा का भी प्रयोग करने लगे हैं (मैठाणी, 2010)। शब्दों के उच्चारण पर मूलभाषा का प्रभाव परिलक्षित होता है। ये कद में छोटे तथा चपटे मुख वाले होते हैं। इनकी काठी मजबूत तथा होंठ कुछ बाहर की ओर मुड़े हुये होते हैं। बाल घुमावदार होते हैं, शरीर का वर्ण सामान्य काला व कुछ–कुछ पीलापन लिये होता है।

(ख) वेश–भूषा– राजी जनजाति के पुरुष धोती, अंगरखा, पगड़ी धारण करते हैं तथा सिर पर चोटी रखते हैं। स्त्रियां लहंगा चोली व सिर पर ओढ़नी धारण करती हैं। इस जनजाति के लोग शरीर पर गुदवाते हैं और यह सबसे अधिक प्रचलित हैं।

(ग) आवास– पहले यह अधिकांशतः वनों में निवास करते थे, लेकिन अब झोपड़ियों व बस्तियों में निवास करते हैं, राजी समाज के लोग अपने आवास को ये 'रौत्यूड़ा' कहते है। पत्थर की दीवार तैयार कर, लकड़ी एवं पत्तों की सहायता से छप्पर डालकर छोटे–छोटे घरों का निर्माण पर्वतीय ढ़ालों पर करते हैं जिनका आकार खोह नुमा होता है। इनके आवास घने जंगलों में हैं। गृहों के निर्माण एवं इनकी प्रकृति से स्पष्ट होता है कि ये एकांतवासी होते हैं। साथ–ही–साथ इनकी आवास संस्कृति पर पर्यावरण का प्रभाव भी परिलक्षित होता है। शीत से रक्षा के लिये ये विशेष प्रकार के मकान तैयार करते हैं या तो गुफाओं में रहते हैं।

(घ) कृषि व पशुपालन– इनके कुछ परिवार अभी भी घुमक्कड़ी अवस्था में जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोग झूम विधि से थोड़ी–बहुत मात्रा में कृषि करने लगे हैं। कृषि के साथ–साथ ये आखेट, पशुपालन व वन उत्पाद संग्रहण भी करते हैं। वन की कटाई पर रोक लगने के कारण ये अब अपने प्राकृति आवरण से बाहर निकलकर मजदूरी भी करने लगे हैं। ये लोग वन उत्पादित फल एवं कन्दमूल को भोज्य के रूप में ग्रहण करते हैं तथा इसके अलावा जंगली मुर्गियों एवं छोटे पशुओं का भी शिकार करते हैं। इनकी शिकार पद्यति एक पृथक् प्रकार की है जिसमें ये एक भारी पत्थर के नीचे मजबूत लकड़ी की फॉस लगाकर कुछ अनाज के दाने एवं खाद्य सामग्री रख देते हैं जिनको खाने की लालच में मुर्गीयॉ तथा छोटे–छोटे पशु आते हैं और बड़ी सरलता से जाल में फंस जाते है और ये लोग उनका शिकार कर लेते हैं। मत्स्य का शिकार भी यदा–कदा कर लेते हैं। वर्तमान समय में इनकी भोज्य संस्कृति में निरन्तर परिवर्तन हो रहा है। ज्यों–ज्यों वाह्य संर्पक बढ़ रहा है त्यों–त्यों फल एवं कन्दमूल के स्थान पर रोटी, दाल, सब्जी का प्रयोग भी प्रचलित हो रहा है। घरों के आस–पास सब्जी का उत्पादन भी करना प्रारम्भ कर दिया है। वास्तव में प्रचीन राजी लोग कन्दमूल, फल एवं कच्चा शिकार इत्यादि खाकर ठंडा पानी पीकर गुफाओं में सो

जाता था, उसे कल की चिन्ता नहीं रहती थी।

(ड.) मानवीय आर्थिक संसाधन– ये काष्ठ कला में निपुण होते हैं तथा भूतपूर्व में राजी समाज के लोग लकड़ी के घरेलू समान या लकड़ी के गठ्ठर से आस–पास के गॉवों में 'मूक या अदृश्य विनिमय' द्वारा अपनी आवश्यकता की सामग्री प्राप्त करते थे। उन्हें जिन चीजों की आवश्यकता होती थी, उसका एक छोटा सा टुकड़ा अपने द्वारा बनाये गये वस्तुओं या लकड़ी के गठ्ठर में चिपका कर रात के समय आस–पास के गॉवों में जाकर लोगों के घर के बाहर छोड़ आते थे। अगले दिन लोग उस सामग्री को लेकर उसी स्थान पर उनके आवश्यकता की सामग्री रख देते थे, जिसे वे रात्री में उठा ले जाते थे। वर्तमान में राजी अपने शर्मिले स्वभाव को त्यागकर निकट के बाजार में जाकर निश्चित व्यापारियों को अपनी वस्तुयें देते हैं तथा उनसे बदले में अन्न एवं वस्त्र प्राप्त कर लेते थे। फटे वस्त्र गिने–चुने, टूटे–फूटे बर्तन व अन्न की कमी इनकी अर्थव्यवस्था का यथार्थ स्वरूप स्पष्ट करते हैं। राजी जनजाति की अर्थव्यवस्था अत्यंत दयनीय है।

राजी जनजाति के निवास स्थान व जनसंख्या (2011)

उपरोक्त अध्ययन में वर्णन किया गया है कि उत्तराखण्ड प्रदेश की समस्त जनसंख्या की 27 प्रतिशत जनसंख्या अनुसूचित जनजाति की है। यहॉ की कतिपय जनजातियॉ पहाड़ी क्षेत्रों में जटिल भौगोलिक वातावरण में आवासित है जबकि कुछ जनजातियॉ मैदानी क्षेत्रों में हैं। इनकी अपनी पृथक–पृथक संस्कृति हैं जो विशिष्ट है। राजी जनजाति अपनी विशिष्टता के कारण सभ्य समाज की संस्कृतियों से पूर्णतः भिन्न है। वर्तमान समय में राजी जनजाति में संस्कृति सम्मिश्रण की प्रक्रिया प्रारम्भ हो गई है। भविष्य में इनकी विशिष्ट संस्कृति मात्र ऐतिहासिक विवरणों में उपलब्ध रहेगी। राजी समाज एक अनोखा समाज है जो घने जंगलों एवं ऊॅची पहाडियों पर निवास करता है। राजी जनजाति 8 गॉवों कूटा, चौरानी (डीडीहाट), मदनपुरी (डीडीहाट), किमखोला (धारचूला), गाणागॉव (धारचूला), चिफलतड़ा (धारचूला), जमतड़ी (कनालीछिना), अलतड़ी (कनालीछिना) तथा खिरदारी (चम्पावत) में निवास करने वाली जनजाति है। पिथौरागढ, सन् 1995 में इनकी कुल जनसंख्या 494 थी जिसमें परिवारों की कुल संख्या 118, जिसमें पुरूषों की जनसंख्या 228 तथा स्त्रीयों की जनसंख्या 266 है। इनका विवरण अधोलिखित सारणी– 1, 2 व आकृति 1, 2 व 3 में प्रस्तुत किया गया है। सन् 2011 की जनगणना के अनुसार इनकी वर्तमान में कुल परिवारों की संख्या 130 तथा जनसंख्या लगभग 500 है (रावत, 2021)।

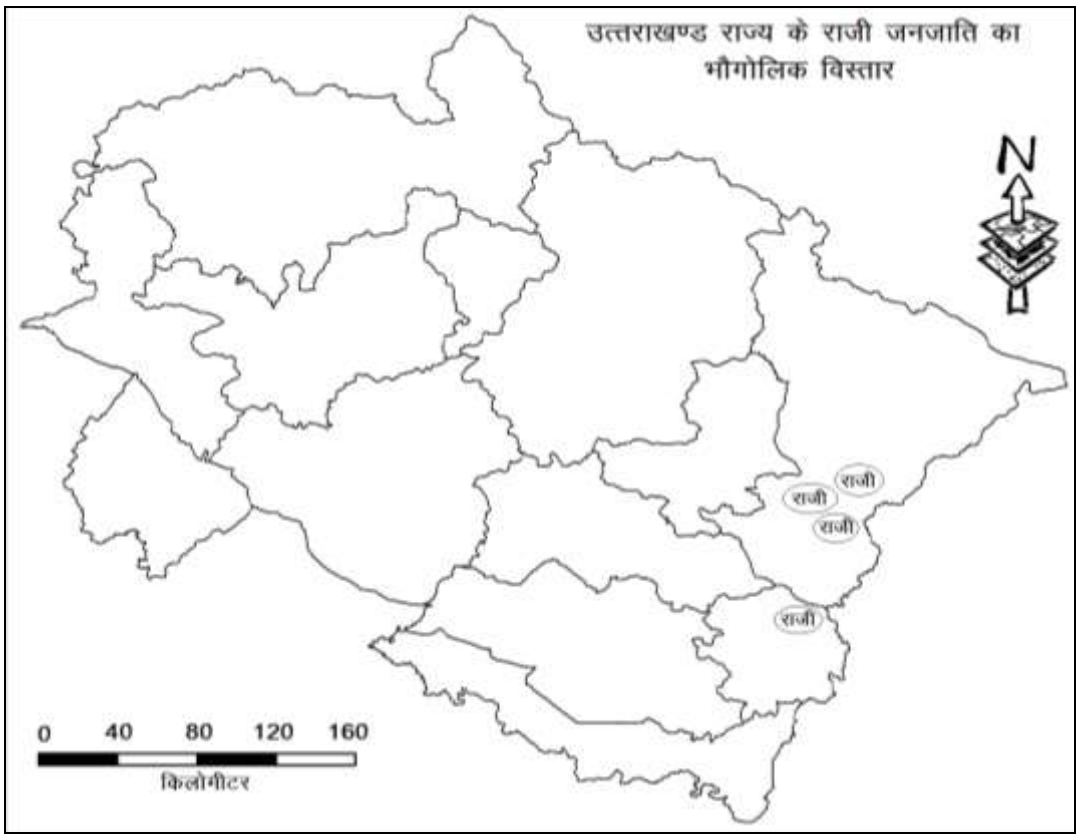

मानचित्र 2: उत्तराखण्ड राज्य के राजी जनजाति का भौगोलिक विस्तार (स्रोतः मैठाणी, 2020)।

सारणी 1: सन् 1995 में राजी जनजाति के गॉवों का विस्तार, कुल परिवारों की संख्या एवं ग्रामीण जनसंख्या (स्रोतः मैठाणी, 2020)।

क्र0सं0	गॉव	परिवारों की संख्या	पुरूष जनसंख्या	स्त्री जनसंख्या	कुल जनसंख्या
1	कूटाचोरनी	21	41	46	87
2	मादनपुरी	8	14	12	26
3	टिफलतड़ा	11	15	14	29
4	किमखोला	25	56	65	121
5	गाणागॉव	11	19	25	44
6	जमतड़ी	15	38	32	70
7	अलतड़ी	9	18	21	39
8	खिरदारी	18	27	51	78
कुल		118	228	266	494

सारणी–2: सन् 1995 में राजी जनजाति की परिवारों की संख्या व जनसंख्या विकासखण्डवार (स्रोतः मैठाणी, 2020)।

क्र0सं0	विकासखण्ड	परिवारों की संख्या	प्रतिशत	पुरूष जनसंख्या	स्त्री जनसंख्या	कुल जनसंख्या
1	डीडीहाट	40	33.90	70	72	142
2	धारचूला	36	30.51	75	90	165
3	कनालीछीना	24	20.34	56	53	109
4	चम्पावत	18	15.25	27	51	78
कुल		118	100	228	266	494

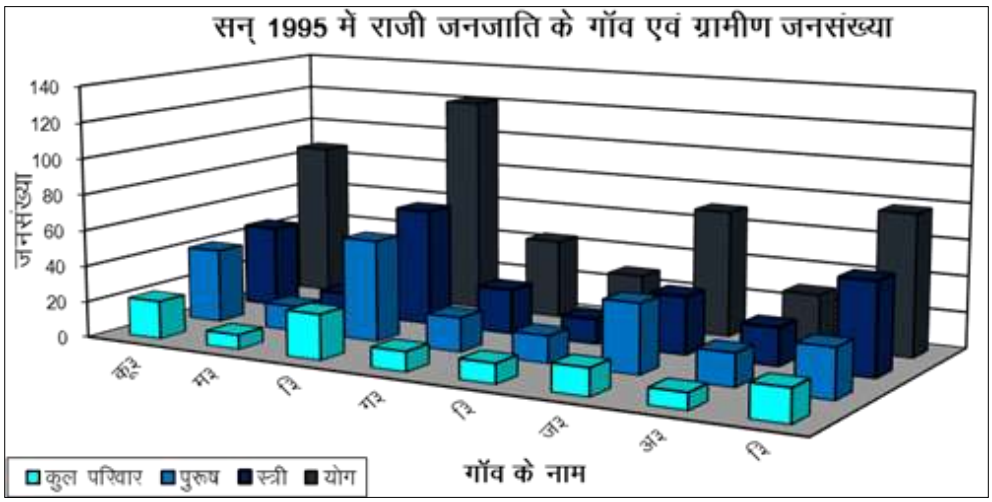

आकृति 1: उत्तराखण्ड राज्य में सन् 1995 में राजी जनजाति निवासित गॉवों की संख्या तथा कुल जनसंख्या का विखराव (स्रोतः मैठाणी, 2020)।

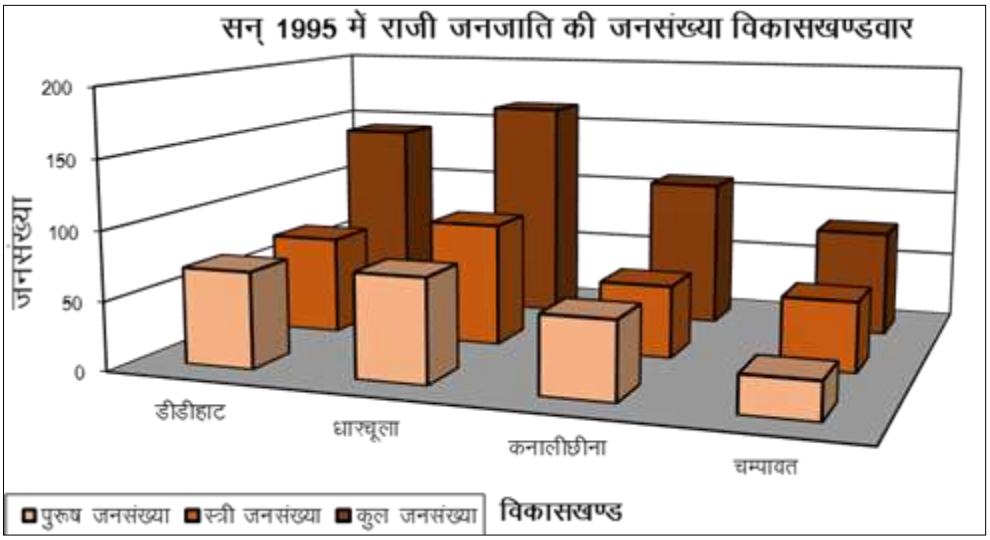

आकृति 2: सन् 1995 में उत्तराखण्ड राज्य में विकासखण्डवार राजी जनजाति की कुल जनसंख्या (स्रोतः मैठाणी, 2020)।

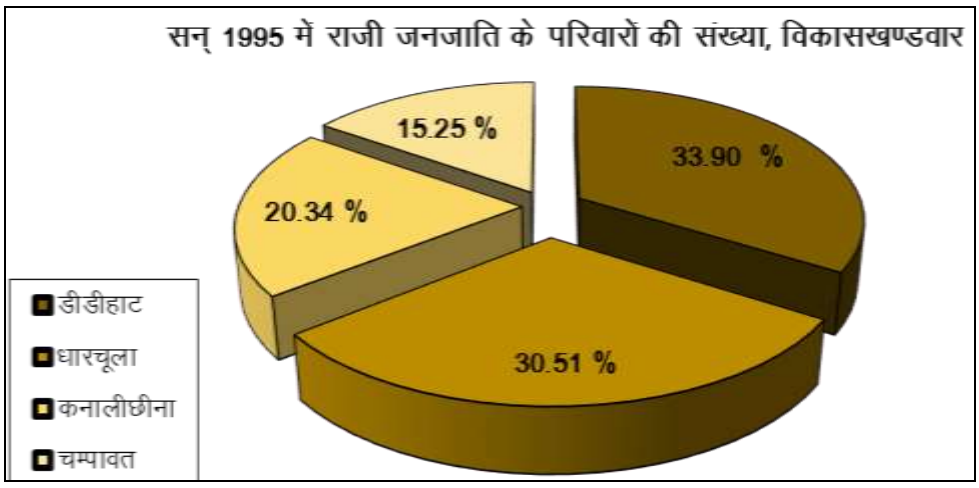

आकृति 3: सन् 1995 में उत्तराखण्ड राज्य में विकासखण्डवार राजी जनजाति की कुल परिवारों की संख्या (स्रोतः मैठाणी, 2020)।

राजी जनजाति की वर्तमान स्थिति

राजी जनजाति ऐसे इलाकों में निवास करती हैं जहॉ तक बुनियादी सुविधाओं की पहुॅच न के बराबर है। जिस कारण ये बहुत सी समस्याओं को झेल रहे हैं। वर्तमान समय में भी सामाजिक समस्याओं को हल करनें हेतु ये आज भी सामाजिक संर्म्पक स्थापित करने में सहज नहीं पाते हैं। इस का परिणाम है कि ये सामाजिक–सांस्कृतिक अलगाव, भूमि अलगाव, तथा अश्पृश्यता की भावना महसूस करते हैं, साथ ही राजी बहुल्य क्षेत्रों में शिक्षा, मनोरंजन, स्वास्थ्य तथा पोषण संबंधी सुविधाओं की स्थिति भी बहुत दयनीय मिलती है। आज भी इस जनजातिय समुदाय का एक बहुत बड़ा वर्ग निरक्षर है जिस कारण ये आम बोलचाल की भाषा को समझ नहीं पाते हैं। सरकार की कौन–कौन सी योजनायें इन तबकों के लिये हैं इसकी समझ तक इनको पूर्ण रुप से नहीं हो पाता है, जो इनके सामाजिक पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारण है। इनके आर्थिक रूप से पिछड़ेपन होने के पीछे प्रमुख समस्या पारंपरिक रुप से गरीबी तथा ऋण ग्रस्तता है। वर्तमान समय में भी इस जनजाति का बड़ा भाग आर्थिक स्रोत व अपना जीवन यापन करने के लिय दूसरों के घरों (सम्पन्न घरों) में काम कर रहा है। मॉ–बाप आर्थिक तंगी के कारण अपने बच्चों को पढ़ा–लिखा नहीं पाते हैं तथा चंद पैसों के लिये उन्हें बड़े व्यवसायियों या सरल शब्दों में कहें तो पूंजी पतियों को बेच देते हैं या काम करने भेज देते है। जिस कारण बच्चे या तो समाज के घृणित कार्यों को अपनाने के लिये विवश हो जाते हैं या उन्हें मानव तस्करी का सामना करना पड़ता है। अन्त में देखा जाय तो जनजातियों के पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारण उनका आर्थिक रूप से पिछड़ापन ही है। वर्तमान में राजी जनजाति की हालिया स्थितियॉ प्रमुख रूप से इस प्रकार दृष्टिगोचर होती हैं जो निम्नलिखित हैं–

- राजी समाज अन्य समाज से पृथक अस्तित्ववान है जिस कारण परस्पर आर्थिक सहायता संभव नहीं हो पा रही है।
- राजी वर्तमान समय में अपनी प्रचीन काष्ठकला परित्याग कर रहा है।
- राजी लोगों में शिक्षा का अभाव विद्यमान है सरकार के अनेक प्रयत्नों के पश्चात् भी शिक्षा का प्रसार नहीं हो पा रहा है।
- पर्वतीय एवं जंगलीय भू–भाग पर ये लोग आवासित हैं जिस कारण कृषि योग्य भूमि का अभाव है।
- यातायात के साधनों का अभाव है जिस कारण सरकारी योजनाओं का सम्पूर्ण लाभ इनको प्राप्त नहीं हो पा रहा है।

1975, 1981, 1995, 2001, व 2011 की जनसंख्या व परिवारों का तुलनात्मक प्रस्तुतीकरणः 1975 में पिथौरागढ़ और चम्पावत जनपदों में इनके 143 परिवार निवास करत थे। 1981 की जनगणना के अनुसार इनकी जनसंख्या 1087 थी, जो 1995 में घटकर मात्र 494 रह गई थी, इसमें इनके परिवारों की कुल संख्या 118 थी जिनमें से पुरूषों की संख्या 228 तथा स्त्रीयों की संख्या 266 थी। 2001 में इनके परिवारों की कुल संख्या 130 तथा कुल जनसंख्या लगभग 528 थी। 2011 में राजी की नवीनतम आबादी 690 दर्ज हुई है, जिनमें 366 पुरूष व 324 महिलायें हैं (रावत, 2021)। इन आकड़ों के अवलोकन से हमें ज्ञात होता है कि जनसंख्या कभी घटी तथा कभी बढ़ी है। इसका कारण आर्थिक कमी के कारण ये लोग कुपोषण एवं रोगों से ग्रसित हो रहे हैं जिससे इनके अस्तित्व पर प्रश्न–चिह्न लग गया है। भोज्य पदार्थों का अभाव, चिकित्सा सेवा की अल्पता, एकाकी जीवन आदि के कारण सरकारी प्रयत्नों के बावजूद भी इनकी संख्या निरन्तर कम होती जा रही है।

राजी जनजातीय क्षेत्रों में सामाजिक एवं आर्थिक स्थितिः विवाह इन में दो परिवारों के बीच एक समझौता माना जाता है। ये हिन्दुओं की तरह अपने गोत्र में विवाह नहीं करते हैं, विवाह के पूर्व 'सांगजांगी' व 'पिंठा संस्कार' संम्पन्न होता है। बच्चों का विवाह प्रायः कम आयु में कर दिया जाता है, पहले इन में पलायन विवाह का भी प्रचलन था। इनमें वधुमूल्य का प्रचलन है, विवाह के बाद पति अपने ससुर के घर रहने लगता है। इनमें विवाह–विच्छेद व पुर्नविवाह के लिये स्त्री व पुरूष को समान अधिकार प्राप्त है। इन लोगों का विश्वास है कि देवी–देवता पहाड़ की चोटी, नदी, तालाब और कुओं में रहते हैं। ये बाघनाथ, मलैनाथ, गणनाथ, सैम, मलिकार्जुन, छुरमल, नंदादेवी आदि देवी–देवताओं को पूजते हैं, इनके मुख्य देवता बाघनाथ हैं। ये हिन्दु धर्म को मानते हैं तथा राजी जनजाति में जिस स्थान पर किसी की मृत्यु हो जाती है उस स्थान पर उसके बाद कोई नहीं रहता है। मृतकों को गाड़ने व जलाने की परंपरा है। 'कारक' (कर्क) और 'मकारा' (मकर) की संक्रान्ति इनके दो प्रमुख त्यौहार हैं। इन त्यौहारों पर सभी परिवारों में पकवान आदि बनाये जाते हैं। विशेष अवसरों पर ये 'थड़िया' जैसा (गोले में होकर) नृत्य करते हैं। राजी जनजाति की अर्थव्यवस्था प्रधानतया आखेट एवं वन्य–वस्तु संग्रह पर जीवन निर्वहन करते हैं। प्रचीन काल में इस समाज में अदृश्य व्यापार पद्यति थी। ये लोग वन्य संग्रह से प्राप्त वस्तुओं एवं लकड़ी की बनी वस्तुओं का व्यापार इसी पद्यति से करते थे। जिसमें राजी जनजाति के लोग निर्दिष्ट स्थान पर रात्री के समय अपनी वस्तुओं को रख जाते थे, उसके बदले में स्थानीय लोग वस्त्र तथा अन्न उसी स्थान पर रख देते थे। दूसरे दिन रात्री में राजी उन वस्तुओं को लेकर जाते थे। यह व्यापार पद्यति बड़ी आश्चर्य जनक थी जिसका आधार पारस्परिक विश्वास था।

राजी निवासित क्षेत्रों में शैक्षिक एवं स्वास्थ्य स्थितिः पहले इनमें शिक्षा के प्रति बिल्कुल लगाव नहीं रहा क्योंकि शैक्षिक स्थान बस्तियों में बने होते थे जिस कारण बच्चों को ये विभिन्न पारंपरिक कार्यों में नियोजित कर देते थे। जब से सामान्य बस्तियों में आपसी सम्बन्ध बढ़ने लगे है तब से इनमें धीरे–धीरे शिक्षा के प्रति रुचि आ रही है। वनरौतों का शिक्षा का प्रतिशत न्यून है क्योंकि ये अपने बच्चों को गाय, बैल, भेड़–बकरी चराने या घर की रखवाली करने के लिये सबसे उपयुक्त समझते थे। वनरौतों में शिक्षा के प्रति अब जागरूकता के साथ–साथ राजनैतिक चेतना का संचार हो रहा है। इसका उदाहरण वर्ष 2002 एवं 2007 में धारचूला से इस जनजाति से सम्बन्ध रखने वाले गगन सिंह रजवार दो बार उत्तराखण्ड विधानसभा के सदस्य रहे। राजी जनजाति में शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन व पोषण सम्बन्धी सुविधाओं से वंचित की स्थिति में मिलती है। इन समुदायों का एक बड़ा वर्ग निरक्षर है जिससे ये आम बोलचाल की भाषा को समझ नहीं पाते तथा सरकार की कौन–कौन सी योजनायें जनजाति वर्ग के लिये हैं, इसकी समझ तक इनको नहीं हो पाती जो इनके सामाजिक पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारण बन गयी है। अनुसूचित जनजातियों की स्थिति स्वास्थ्य के सभी मानकों के साथ शिशु मृत्युदर, 5 साल से कम उम्र में मौत के मामलों में बेहद खराब है। एक रिर्पोट के अनुसार इन लोगों में अनुमानित शिशु मृत्युदर प्रति 1000 बच्चों पर 44 से 74 के बीच है। जनजातिय लोग, जो देश की जनसंख्या का 8.6 प्रतिशत हैं, इन स्तरों पर बिमारीयों से पीड़ित हैं जिसमें कुपोषण और संक्रामक रोग जैसे– मलेरिया और टी0बी0 आदि प्रमुख अनियंत्रित रोग हैं।

अन्य स्थितियॉः इनकी अन्य स्थितियॉ इस प्रकार हैं–

- **भूमि से अलग होनाः** जैसा कि जनजातियॉ आज भी सभ्य समाज से दूर जंगलों और पर्वतों में अधिक निवास करती है,

जनजातियों की मुख्य समस्या भूमि से अलग होना है। जिसका मुख्य कारण प्रशासनिक अधिकारी, वन विभाग के ठेकेदार, महाजनों इत्यादि के द्वारा इनका शोषण प्रारम्भ होने से शुरू हो गया है।

- **बंधक मजदूरः** ऋण ग्रस्तता, अज्ञानता आदि कारणों से ये लोग बंधक मजदूर बन जाते है। इनमें केवल एक व्यक्ति ही नहीं होता बल्कि उसका पूरा परिवार ही मानों बंधक बन जाता है।
- **बेरोजगारीः** जनजातियों की आजीविका के परंपरागत स्रोत सीमित होते हैं। जिससे इनमें बेरोजगारी की समस्या बनी रहती है। यह लोग बहुत ही कम शिक्षित होते हैं, इसलिये इन लोगों को कोई अच्छा काम भी नहीं मिल पाता है।
- **नशे की लतः** जनजातियों में शराब, बीड़ी एवं तम्बाकू आदि का चलन बहुतायत पाया जाता है। इनका नशा करना इनकी आदत बन चुकी है। जनजाति के लोगों में परंपरागत रूप से देशी शराब को प्रसाद के रूप में देवताओं को अर्पित करने व प्रसाद स्वरूप इसे ग्रहण करने की परंपरा है। इनमें पुरूष ही नहीं बल्कि महिलायें भी शराब का सेवन करती हैं।
- **ऋणग्रस्तता की समस्याः** वर्तमान जनजातिय समाज में ऋण ग्रस्तता तेजी से बडती हुयी समस्या है। पहले जनजातियॉ अपनी उपभोग की सीमित वस्तुओं के साथ प्रकृति पर ही निर्भर रहते थे व सरल जीवन जीते थे। परन्तु वर्तमान जनजातिय समाज बाहरी समाज के सम्पर्क में आने से अपनी सामाजिक व सांस्कृतिक परिस्थिति में बदलाव कर रहे है। जनजाति अब अच्छे वस्त्र, सौंदर्य, खान–पान इत्यादि के कारण धन की ज्यादा आवश्यकता महसूस करने लगे है। यह अब किसी भी उत्सव व विवाह समारोह को बड़े धूम–धाम से मनाने लगे है जिस कारण इनकी जीवन भर की पूँजी खाने पीने में ही खर्च हो जाता है और ऋण ग्रहस्तता बनी रहती है।
- **प्राकृतिक आपदायेंः** प्राकृतिक आपदायें जनजातियों की मुख्य समस्यायें रहीं हैं। प्राकृतिक आपदाओं के कारण स्थाई या अस्थाई रूप से इन्हें अपने मूल स्थान से दूर जाने के लिये विवश कर देती हैं। इसके अलावा इन लोगों की आय ज्यादातर बीड़ी, सिगरेट, शराब आदि में खर्च हो जाती है। इन सब की अब इन लोगों को आदत हो चुकी है। विवाह तथा किसी सार्वजनिक उत्सवों में भी यह लोग शराब को प्रमुखता देते हैं। इन लोगों की जीवन भर की कमाई खाने–पीने में ही निकल जाती है और जनजातियों की ऋण ग्रस्तता की समस्या बनी रहती है।
- **गैर आदिवासी जनसंख्या का प्रभावः** वर्तमान समाज में आदिवासी क्षेत्रों में तेजी से बढती गैर आदिवासी जनसंख्या से जनजातिय सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृति स्थिति प्रभावित हुयी है। जिससे आदिवासी क्षेत्रों में जनांकिकी परिवर्तन भी हुआ है। वर्तमान आदिवासी समाज में बाहरी प्रभाव से अशांति का वातावरण बना हुआ है।

राजी जनजाति क्षेत्रों में विकास का अभाव एवं प्रमुख समस्यायें

- ऐसे इलाकों में निवास जो हाशिये पर हैं जहॉ तक सुख–सुविधाओं की पहुँच न के बराबर है।
- समाजिक–सांस्कृतिक अलगाव, तथा अस्पृश्यता की समस्या।
- शिक्षा, मनोरंजन, स्वास्थ्य तथा पोषण संबंधी सुविधाओं का अभाव।
- आर्थिक रूप से पिछड़ापन, गरीबी तथा ऋण ग्रस्तता।
- आर्थिक तंगी के कारण बच्चों को मानव तस्करी का सामना अथवा धकेल दिये जाते हैं।

सरकारों द्वारा प्रचलित एवं प्रस्तावित जनजाति क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम

राजी जनजाति की कई समस्यायें हैं जिनको नजर में रखकर सरकार द्वारा कई कार्यक्रम वर्तमान समय में इनको आगे लाने के लिए चलाये जा रहे हैं। जिनमें इनको स्थाई कृषि हेतु भूमि आवंटन, स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, आमदनी के स्रोत बढ़ाने के उपाय, जंगलों में इनको कुछ अधिकार देना प्रमुख है। राजी जनजाति में मदिरापान बहुत ज्यादा प्रचलित है जिस कारण है यह एक बार ज्यादा बीमार पढ़ने पर ठीक कम ही हो पाते हैं क्योंकि अंदर से मदिरा इनको कमजोर कर देती है। राजी क्षेत्रों में गैर–सरकारी संस्थाओं के द्वारा आश्रम–पद्धति के विद्यालय चलाए जा रहे हैं जो राजी बच्चों को कक्षा 1 से 5 तक निःशुल्क आवासीय, वस्त्र, भोजन, नाश्ता, कॉपी, किताब आदि प्रदान भी करती है (मैठाणी, 2010)। जनजातियों को शोषण से बचाने के लिये कुछ विशेष अधिनियम भी बनाए गये हैं जो अग्रलिखित है–

1) सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 (1976 में संशोधन)।
2) अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989।
3) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948।
4) बंधित श्रम–पद्यति उत्पादन अधिनियम 1976।
5) बालश्रम निषेध अधिनियम 1986।

(अ) अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण संशोधन नियम 2016।

(ब) अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए संवैधानिक प्रावधान।

भारत का संविधान अनुच्छेद– 46 में प्रावधान करता है कि राज्य समाज के कमजोर वर्गों में शैक्षणिक व आर्थिक हितों को ध्यान में रखता है तथा समाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से संरक्षित रखेगा। यह उपरोक्त अनुच्छेद को जनजातियों के संदर्भ में विशेष महत्व दिया गया है। अनुच्छेद– 15 (4) शैक्षिक संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान, अनुच्छेद– 16 (4), 16 (4, क), 16 (4, ख) पदों एवं सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान, अनुच्छेद– 23 देह व्यापार, भिक्षावृत्ति, बालश्रम एवं बंधुआ मजदूर प्रणाली (अधिनियम 1976) को निषेध करता है, अनुच्छेद–24 किसी फैक्ट्री, कारखानों व अन्य जोखिम भरे कार्यों में 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों के नियोजन को निषेध करता है। क्योंकि इन कार्यो में संलग्न बाल मजदूरों का अधिक भाग अनुसूचित जनजातियों का ही है। भारत के संविधान ने अनुच्छेद– 275 (1) के अन्तगर्त विशेष केन्द्रीय सहायता तथा अनुदान का प्रावधान दिया है। जनजातिय उप–योजना के माध्यम से राज्यों/संघ राज्यों के क्षेत्रों में निवासित जनजातियों के विकास हेतु प्रयासों को पूरा करने के लिये विशेष केन्द्रीय सहायता प्रदान की गयी है। इस सहायता का मूल उद्देश्य पारिवारिक आय सृजन की कृशि, बागवानी, लघु सिंचाई, मृदा संरक्षण, पशुपालन, वन, शिक्षा, सहकारिता, मत्स्य पालन, गॉव के लघु उधोगों तथा न्यूनतम आवश्यकता संबन्धी कार्यक्रम से है। अनुसूचित जनजातियों के विकास एवं कल्याण के लिये तथा उन्हें देश की मुख्य धारा में लाने के लिये केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा कई कार्यक्रम शुरू किये गये हैं, जिनका संक्षिप्त वर्णन निम्नलिखित है–

केन्द्र सरकार द्वारा प्रचलित जनजातिय क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम

- मैट्रिक के बाद सभी छात्रों एवं छात्राओं के लिये छात्रवृत्ति की व्यवस्था।
- छात्राओं के लिये विशेष छात्रावास की व्यवस्था।
- परीक्षा से पहले प्रशिक्षण की व्यवस्था।

- जनजातिय विकास खण्डों (ज्तपइसम क्मअमसवचउमदज ठसवबो. ज्क्ठ) की स्थापना।
- सहकारिता को प्रोत्साहन।
- अनुसंधान, प्रशिक्षण तथा विशेष परियोजनायें ।
- अस्वास्थ्यकर व्यवसायों में संलग्न लोगों के कामकाज एवं रहन–सहन की दशाओं में सुधार।
- कोचिंग तथा मार्गदर्शन केन्द्रों की स्थापना।
- अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिये कार्य करने वाले संस्थाओं को अनुदान।

राज्य सरकार द्वारा प्रचलित जनजातिय क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम

- मैट्रिक के बाद छात्र–छात्राओं को छात्रवृत्ति तथा वृत्ति की व्यवस्था।
- शिक्षण एवं परीक्षा के शुल्कों में छूट।
- दोपहर के भोजन की व्यवस्था।
- 'आश्रम' विद्यालयों की स्थापना।
- स्कूलों तथा छात्रावासों की इमारतों के निर्माण के लिये अनुदान।
- जनजातियों को भूमि उपलब्ध कराने तथा सिंचाई की व्यवस्था करने का प्रावधान।
- कृषि विकास के लिये उन्नत बीजों, उर्वरकों तथा कृषि उपकरणों की व्यवस्था।
- परिवहन के लिये बैल गाड़ियों का प्रावधान।
- कृषि के अतिरिक्त रोजगार उपलबध कराने के लिये कुटीर उद्योगों का विकास।
- सहकारिता को प्रोत्साहन।
- संचार व्यवस्था में सुधार।
- स्थानांतरी कृषि के विस्तार पर नियंत्रण।
- पशु–पालन को प्रोत्साहन।
- ग्रामीण स्तर पर स्वास्थ्य सेवायें।
- पेय जल उपलब्ध कराने के लिये योजनायें।
- आवासीय सुविधा।
- विवादों को निपटाने के लिये कानूनी सहायता की व्यवस्था।
- राज्य में जनजातियों की भलाई के लिये का करने वाले गैर–सरकारी संगठनों को अनुदान की व्यवस्था।

इस चुनौति से निपटने के लिये भारत सरकार द्वारा शाशा समिति का गठन किया गया। यह समिति वर्ष 2013 में प्रो0 वर्जिनियस शाशा की अध्यक्षता में शुरू की गई। इस समिति को जनजातीय समुदायों की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक और स्वास्थ्य की स्थिति की जॉच करने और उनमें सुधार के लिये उपयुक्त हस्तक्षेपकारी उपायों की शिफारिश करने का कार्य भार सौंपा गया। उत्तराखण्ड, समाज कल्याण विभाग द्वारा इनके शैक्षिक उत्थापन के लिये गौरा देवी कन्या धन योजना, जनजातियों के लिये जनजाति उप–योजना, आदिम जनजाति (बुक्सा एवं राजी) के लिये कल्याणकारी कार्यक्रम, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का संचालन, आई0टी0आई0 का संचालन, राजकीय जनजाति छात्रावास आदि योजनायें इनके लिये चलाई गई हैं।

निष्कर्ष

प्रस्तुत अध्ययन, विकास के अभाव में उत्तराखण्ड राज्य के राजी जनजाति की स्थिति एवं समस्याओं का अध्ययन करने उपरांत निम्न निष्कर्ष प्राप्त होता है। भारत की सभी विलुप्ति होती जनजाति में से उत्तराखण्ड की राजी जनजाति एक है। भारत व उत्तराखण्ड सरकारों ने जनजातियों की स्थिति को सुधारने की दिशा में काफी प्रयास किये है परंतु शासन के कार्यों में पूर्णतः तब्दील नहीं हो पाये है जिस कारण कई जनजातियॉ विकास से अछूते रहे है तथा भविष्य के लिये योजनाओं का लाभ जनजातियों तक पहुॅचे इसकी जरूरत है साथ ही जनजातियों के प्रति उदासीनता को खत्म कर जागरुक करने जरूरत है।

जनजातिय जीवन चर्या पर आधारित इस कार्यक्रम ने कुछ हद तक जरूर भारत के जनजातिय समुदाय की पहचान को मुखर करने का काम किया है। वहीं आर्थिक पहलुओं पर इन से जुड़ी समस्याओं को हल करने के लिये जनजातिय परिवारों को कृषि के लिये पर्याप्त भूमि देने तथा स्थानान्तरी खेती पर भी रोक लगाने की जरूरत है। कृषि के अत्याधुनिक तरीके से इनको अवगत कराना भी एक विकल्प है। इसके अलावा शिक्षा संम्बंधित समस्याओं को दूर करने के लिये जरूरी है कि आदिवासियों के लिये सामान्य शिक्षा तथा प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाय। स्कूलों में उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाय। जिससे कि शिक्षा ग्रहण करने के बाद उन्हें बेकारी की समस्या से न जूजना पड़े। कृषि, पशुपालन, मुर्गीपालन, मतस्य पालन, मधुमक्खी पालन एवं अन्य प्रकार के हस्तकलाओं का भी उन्हे प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये। स्वास्थ्य संम्बन्धी समस्याओं करे हल करने के लिये जनजातिय क्षेत्रों में चिकित्सालय, चिकित्सक एवं आधुनिक दवाईयों का प्रबंधन भी जरूरी है। उनके लिये पौष्टिक आहार एवं बिटामिन की गोलियों की व्यवस्था भी की जाय ताकि इनमें कुपोषण से होने वाली बीमारीयों को समाप्त किया जा सके। जनजातियों की प्रमुख समस्याओं में से एक है उनका सांस्कृतिक अलगाव लिहाजा उनकी इस समस्या को हल करने के लिये ऐसे विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाय जहॉ आदिम ललित कलाओं की रक्षा की जाय। जनजातियों के लिये किये जाने वाले कोई भी मनोरंजनात्मक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम उन्हीं की भाषा में हों। इसमें उनकी भाषा से संम्बंधित समस्याओं का समाधान निहित है। रही बात समाज के सदस्यों की तो सभी आम नागरिकों का यह कर्तव्य होना चाहिए कि वह अपने हितों के साथ–साथ जनजातियों के हितों की भी रक्षा करे। साथ ही जो जनजातिय समुदाय संपर्क में आने को इच्छुक हैं उनका स्वागत करने में भी हिच–किचाहट नहीं होनी चाहिये।

संदर्भ ग्रन्थ

1. ओझा, एस0के0 (2011). जनसंख्या एवं नगरीकरण, इलाहाबादः बौद्धिक प्रकाशन. पृ0 संख्या– 6–50, 104–119।
2. ओझा, एस0के0 (2019). भारत का भूगोल (त्रयोदश संस्करण), प्रयागराजः बौद्विक प्रकाशन. पृ0सं0– 306।
3. खुल्लर, आ0 (2015). भूगोल, सिविलसेवाः मुख्य परीक्षा के लिये (नवॉ संस्करण), पी–24, ग्रीनपार्क एक्सटेन्शन, नई दिल्लीः मैग्रोहिल एजुकेशन (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड. प्रश्नपत्र– 2, पृ0सं0– 8–28।
4. नवाणी, लो0 (2011). उत्तराखण्ड इयर बुक 2011, देहरादूनः विनसर पब्लिशिंग कम्पनी. पृ0सं0– 377।
5. बलोदी, डॉ0 रा0प0 (2015). उत्तराखण्ड समग्र ज्ञान कोष (तृतीय संस्करण), देहरादूनः विनसर पब्लिशिंग कंम्पनी. पृ0सं0– 191।
6. मैठाणी, प्रो0डी0डी0; प्रसाद, डॉ. गा0 एवं नौटियाल, डॉ. रा0 (2010). उत्तराखण्ड का भूगोल (प्रथम संस्करण), इलाहाबादः शारदा पुस्तक भवन. पृ0सं0– 128।
7. मैठाणी, प्रो0डी0डी0; प्रसाद, डॉ. गा0 एवं नौटियाल, डॉ. रा0 (2020). उत्तराखण्ड का भूगोल (पुनः मुद्रित संस्करण), इलाहाबादः शारदा पुस्तक भवन. पृ0सं0– 128–131।
8. मौर्य, डॉ0 एस0डी0, (2013). सामाजिक भूगोल, इलाहाबादः शारदा पुस्तक भवन. पृ0सं0– 107–161।
9. मौर्य, डॉ0 एस0डी0 (2004). मानव भूगोल, इलाहाबादः शारदा पुस्तक भवन. पृ0सं0– 419–504।

10. रावत, न0 (2021). उत्तराखण्ड ईयर बुक (उन्नीसवॉ संस्करण), 8, प्रथम तल, के0 सी0 सिटीसेन्टर, 4, डिस्पेन्सरी रोड, देहरादूनः विन्सर पब्लिशिंग कंम्पन. पृ0सं0– 468।
11. हुसैन, मा0 (2016). भारत का भूगोल (पॉचवा संस्करण), नई दिल्लीः मैग्रोहिल एजुकेशन (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड. पृ0सं0– 139।
12. हुसैन, मा0 (2012). मानव भूगोल (चतुर्थ संस्करण), नई दिल्लीः रावत पब्लिकेशन. पृ0सं0– 428–577।
13. त्रिपाठी, के0न0 (2021). उत्तराखण्ड एक समग्र अध्ययन (द्वादश संस्करण), प्रयागराजः बौद्विक प्रकाशन. पृ0सं0– 225
14. श्रीवास्तव, डॉ0 वी0के0, एवं राव, डॉ0 बी0पी0. (2005). मानव भूगोल, गोरखपुरः वसुन्धरा प्रकाशन. पृ0सं0– 58–73, 74–95, 140–210।